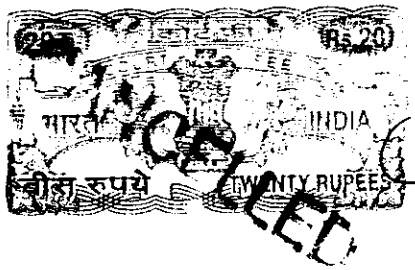

193

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग – 2255 I–16 प्रस्तुत दिनांक 21/06/16

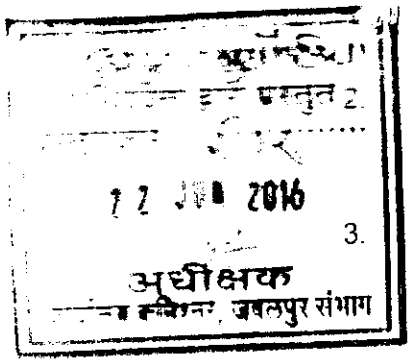

12 JUN 2016
अधीक्षक
कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1. श्रीमति विमला बेवा श्री विरधीचंद नायक
   आयु लगभग 65 वर्ष, जाति जैन
2. रवि कुमार वल्द स्व. श्री विरधीचंद नायक
   आयु लगभग 58 वर्ष, जाति जैन
3. निधि वल्द स्व. श्री विरधीचंद नायक
   आयु लगभग 47 वर्ष, जाति जैन

तीनों निवासी– धन्ना पन्ना बिल्डिंग महावीर वार्ड,
सिवनी, थाना, तहसील वा जिला सिवनी (म.प्र.) ––– पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. पीतम सिंह वल्द स्व. घसीटा सिंह राजपूत,
   आयु लगभग 70 वर्ष, जाति राजपूत
2. श्रीमति नीमा कुमारी पति पीतम सिंह राजपूत
   आयु लगभग 65 वर्ष, जाति राजपूत

दोनों निवासी अम्बिका कॉलोनी, सिवनी
थाना, तहसील वा जिला सिवनी (म.प्र.) ––– उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवनी की न्यायालय के रा.प्र.क. 10/अ–27/2003–2004, अशोक कुमार बगैरा –विरूद्ध– शासन, में पारित आदेश दिनांक 29.04.2004 के पुर्नविलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदन में नायब तहसीलदार सिवनी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पुर्नविलोकन की अनुमति चाही जिसे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी द्वारा प्रदान ना की अवेदन दिनांक 02.05.16 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका समय सीमा में प्रस्तुत की जा रही है।

संक्षेप में प्रकरण का सार

बैनामा दिनांक 21.09.1982 के द्वारा विक्रेता श्रीमति सुलोचना बाई बगैरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2255/एक/2016 जिला–सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी के प्रकरण क्रमांक 10/अ–27/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि बयनामा दिनांक 21.09.1982 के द्वारा विक्रेता श्रीमती सुलोचना बाई आदि से क्रेतागण विरधी चन्द्र एवं अन्य क्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से भूमि खसरा क्रमांक 44/7 के रकवा 0.959 हैक्टेयर में से 0.567 हैक्टेयर मौजा ज्यारथ तत्कालीन प.ह.नं. 77/2 तहसील व जिला सिवनी में स्थित सम्पत्ति क्रय संयुक्त आधिपत्य एवं संयुक्त स्वामित्व प्राप्त किया था। राजस्व प्रक्रिया के अनुसार क्रेता विरधी चन्द्र आदि की क्रय सम्पत्ति परिवर्तित भू–खण्ड क्रमांक 100 रकवा पूर्णांक में 0.56 हैक्टेयर दर्ज की गयी, जिसमें प्रत्येक क्रेता का बराबर–बराबर अंश खरीदी से ही है। आवेदकगण एवं अन्य के द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें वास्तविक अंशों को अनदेखा कर आक्षेपित आदेश दिनांक 29.04.2004 पारित कर गलत तरीके के सह–खातेदारों के मध्य खाता विभाजित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा पुर्नाविलोकन का आवेदन पत्र संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, जो अनुविभागीय अधिकारी,	

सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 से निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्व आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये एवं अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थिति है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, ऐसी स्थिति में अभिलेख के आधार पर वर्तमान प्रकरण में विचार किया जा रहा है। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का विधिवत अवलोकन किया गया।

4– आवेदकगण अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं किया है क्योंकि विवादित भूमि के कुल 8 सह–खातेदारों के नाम कुल 0.53 हैक्टेयर भूमि थी, जिसमें प्रत्येक सह–खातेदार का 1/8 अंश निहित था। इस प्रकार कुल 0.53 हैक्टेयर में आवेदकगण अर्थात कुल 5 सह–खातेदार का अंश वर्णित सम्पत्ति में 5/8 होता है एवं अनावेदकगण का 3/8 अंश होता है इस अविवाजित अंश के विपरीत विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में पुर्नाविलोकन का वर्तमान प्रकरण में प्रर्याप्त आधार था जिस पर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी द्वारा दिनांक 02.05.2016 को पारित किया है, वह विधिवत नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया साथ–ही–साथ यह प्रार्थना की गयी कि नायब तहसीलदार, सिवनी को निर्देशित किया जाये कि वह वर्तमान प्रकरण का पुर्नाविलोकन उभयपक्षों की उपस्थिति में विधिवत रूप से करें।

6– आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ

विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह बताया है कि आदेश दिनांक 29.04.2004 के विरूद्ध कोई अपील नहीं हुयी है। पटवारी से मिलकर सांठ–गांठ कराकर कपट से फर्द बंटराया तैयार किया गया है तथा आवेदक को भू–खण्ड क्रमांक 100 की कुल रकवा 0.56 हैक्टेयर तत्समय अभिलेखों में दर्ज 0.53 हैक्टेयर का विभाजन सभी सह–खातेदारों 8 होने के कारण आवेदकगण को 5/8 अंश दिया जाना चाहिए था तथा अनावेदकगण को 3/8 दिया जाना चाहिए था, इसके विपरीत आदेश दिनांक 29.04.2004 के आदेश में न्यायालय तहसीलदार सिवनी द्वारा आवेदकगण को 0.33 हैक्टेयर अंश अभिलेख अनुसार बैठने के विपरीत 0.30 हैक्टेयर अंश दिया गया है तथा अनावेदकगण का 0.20 हैक्टेयर अंश बैठने के उपरांत उन्हें 0.23 हैक्टेयर अंश दिया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट इस स्थिति से यह स्वीकृत स्थिति है कि आवेदकगण को अंश से कम सम्पत्ति विभाजन में प्राप्त हुयी तथा अनावेदकगण को अंश से अधिक सम्पत्ति प्राप्त हुयी। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कही जा रही कपट की स्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह भी स्वीकृति स्थिति है कि न्याय एवं कपट साथ–साथ नहीं रह सकते। इस स्थिति को दृष्टिगत रख आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन को भी प्रकरण के गुण–दोषों की स्थिति को निराकरण को दृष्टिगत रख स्वीकार किया जाता है तथा पुर्नाविलोकन में हुए वर्णित बिलम्ब को इन परिस्थितियों में क्षमा किया जाता है। वर्णित परिस्थितियों में न्यायहित में प्रकरण के पुर्नाविलोकन किये जाने के सद्भावी आधार इस प्रकरण में विद्मान है दिनांक 12.01.2016 को न्यायालय तहसीलदार सिवनी ने भी वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए

प्रकरण में अंश से अधिक भूमि आलौच्य आदेश में सह–खातेदारों के मध्य विभाजित किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रख पुर्नाविलोकन की स्थिति अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी से मांगी, जिसे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी द्वारा दिनांक 02.05.2016 को निरस्त कर दी है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी को वर्णित परिस्थितियों के प्रकाश में धारा 17 एवं 49 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की विधिक स्थिति को भी नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है। इस विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी, सिंवनी का आदेश दिनांक 02.05.2016 निरस्त किया जाता है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 एवं तहसीलदार, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–27/03–04 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2004 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार, सिवनी निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान प्रकरण में पुर्नाविलोकन की कार्यवाही कर उभयपक्षों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान करते हुए बंटवारा प्रकरण का यथाशीघ्र निराकरण करें।

सदस्य